भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 838

(जिसका उत्तर मंगलवार, 28 जुलाई, 2015 को दिया गया)

<u>निगमित सामाजिक दायित्व के अंतर्गत व्यावसायिक एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना</u>

838. श्री विजय जवाहरलाल दर्डा :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) से संबंधित मौजूदा नियमों में कंपनियों को व्यावसायिक एवं प्रशिक्षण संस्थानों को स्थापित करने की अनुमति दी गई है;
(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उपर्युक्त प्रावधानों के विपरीत, सामयिक नियमों के अंतर्गत उद्योग-आधारित कंपनियां इस परिकल्पना के आधार पर अपने उद्योग विशेष से संबंधित प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित नहीं कर सकती है कि परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र उनकी कंपनी में ही कार्यभार संभाल लेंगे;
(ग) क्या मंत्रालय ने इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण जारी किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) यदि नहीं, तो क्या देश के हितार्थ कंपनियों को अपने उद्योग विशेष से संबंधित तकनीकी संस्थानों को स्थापित करने की अनुमति देने के लिए कोई स्पष्टीकरण जारी किया जाएगा?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री (श्री अरूण जेटली)

(क) से (घ): कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-VII में कंपनियों द्वारा उनकी सीएसआर नीतियों के अधीन किए जाने वाले कार्यकलाप विनिर्दिष्ट हैं। अनुसूची-VII की उदार व्याख्या के अनुसार, जैसा कि कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 18.06.2014 के सामान्य परिपत्र में (मंत्रालय की वेबसाइट www.mca.gov.in पर उपलब्ध) स्पष्ट किया गया है, कंपनियों द्वारा

व्यावसायिक और प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना को इस अधिनियम के अधीन सीएसआर कार्यकलाप माना जा सकता है। वर्तमान में और स्पष्टीकरण जारी करने का विचार नहीं है।

*****